मा—१९

प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

[illegible]

मिर्जापुर

पत्र संख्या माई० बी०/मान्यता/२४६६१ इलाहाबाद, दिनांक ५-२-१९७८।

विषय—आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन/सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता-समिति-की-संस्तुति के उपरान्त, अधिनियम ऐक्ट की धारा ७-(१), ११-के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की १९७ को हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(२) इस आदेश-पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका-विद्यालय निरीक्षिका से ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(३)—नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(ख) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(ग) निर्धारित [illegible] के [illegible] एवं आनोदित [illegible] हेतु [illegible] तुरन्त [illegible] जाय।

(घ) आवेदित मान्यता हेतु [illegible] १० /- [illegible] शुल्क/[illegible] १२-७५ [illegible] के [illegible] [illegible]

(५) यदि संस्था द्वारा आवेदन पत्र में अंकित कोई विवरण गलत पाया जायेगा तो इसकी मान्यता निरस्त कर दी जायगी।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
सामान्य (हाई स्कूल)	हिन्दी, गणित	वाणिज्य तथा साहित्यिक वर्ग के मान्य प्राप्त [illegible] विषय

नोट:- (1) निरीक्षक द्वारा वाणिज्य वर्ग के [illegible] पदों के उपलब्ध होने पर तथा समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त ही कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

(2) टंकण की मान्यता नहीं दी गयी है।

भवदीय,
(ह० [illegible] 1/2/73)
सचिव।

१६७ प्रति० । (ह०) 9.2.68

पृष्टांकन संख्या आई० बी०/मान्यता/ : इलाहाबाद, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय-बालिका विद्यालय निरीक्षिका हमीरपुर
(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक कानपुर
(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ-विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(४) हाई स्कूल परीक्षा विभाग [illegible]
(५) इण्टरमीडिएट परीक्षा विभाग [illegible]
(६) पंचनिदेशक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ

सचिव।
प्रति०